



सत्यमेव जयते

Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)
File No. Tour Report/12/VC(UP)/2018/RU-I दिनांक: 16.11.2018

सिटिंग नोटिस

विषय: उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, कुशीनगर और चंदौली जिलों में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा काफी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है के संबंध में।

- संदर्भ : (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 28/08/2018 जिसके द्वारा 30.08.2018 एवं 31.08.2018 को लखनऊ में आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक एवं सिटिंग को स्थगित कर दिया गया था।
(2) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समसंख्यक अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.11.2018 जो प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को जिसमें सिटिंग एवं समीक्षा बैठक दिनांक 29 नवम्बर 2018 को लखनऊ में आयोजित करने की सूचना दी गई है

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए लखनऊ में दिनांक **29/11/2018 को 03:00** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है। (बैठक के स्थान का निर्धारण एवं उसकी सूचना, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा की जाएगी)।
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।



(राजेश कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष-011 24641640

1. प्रधान सचिव

राजस्व विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

बापू भवन, प्रथम तल

उत्तर प्रदेश सचिवालय

लखनऊ - 226001.

दूरभाष: 0522 - 2238020, फ़ैक्स: 0522 - 2239086.

ईमेल: psrevenueuptup@gmail.com

2. प्रमुख सचिव,

समाजकल्याण विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार,

उत्तर प्रदेश सचिवालय,

लखनऊ - 226001.

दूरभाष: 0522 - 2238083,

ईमेल: psecup.socwel@nic.in

3. जिला मजिस्ट्रेट
जिला - चंदौली
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 05412 - 262557,
ईमेल: dmchn@nic.in

4. जिला मजिस्ट्रेट,
जिला - कुशीनगर,
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 05564 - 240204
ईमेल: dmkus@nic.in

5. जिला मजिस्ट्रेट,
जिला - मऊ।
(उत्तर प्रदेश),
दूरभाष: 0547 - 2220233
फैक्स: 0547 - 2223645
ईमेल: dmmou@nic.in
(Mob: 9454417523)

6. जिला कलेक्टर,
जिला - बलिया,
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 05498 - 220311
मोबाइल: 9454417522
ईमेल: dmbal@nic.in

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
प्रथम तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन,
सचिवालय,
लखनऊ - 1
दूरभाष: 0522 - 2238212, 2221599
फैक्स: 0522 - 2239283
ईमेल: csup@nic.in

प्रतिलिपि:

श्री अरविंद कुमार गोंड,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
दलित - आदिवासी जीवन ज्योति फ़ाउंडेशन,
बी - 13/9, जनता फ्लैट्स, सैक्टर - 71,
नोएडा - 201307.

(मोबाइल: 9999400508) [उपरोक्त चारों जिलों से प्रत्येक जिले से दो अभ्यावेदकोंको सिटिंग में उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं तथा उनसे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया हो से संबंधित प्रकरण का सारांश भी साथ लाने को कहे।]

Speed Post

शिशिर कुमार रथ
संयुक्त सचिव

SISIR KUMAR RATHO

JOINT SECRETARY

Tel. : 011- 24603669, Fax : 011- 24624628



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
कमरा नं. 610 'बी' विंग,

छठी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

GOVERNMENT OF INDIA

National Commission for Scheduled Tribes

Room No. 610 'B' Wing, 6th Floor

Loknayak Bhawan, Khan Market

New Delhi -110003

फाईल नं. टूर रिपोर्ट/12/वीसी(यूपी)/2018/आरयू-1

दिनांक 16.10.2018

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
प्रथम तल, कमरा नं.110
लालबहादुर शास्त्री भवन
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001.
दूरभाष: 0522-2238212, 2221599.

फैक्स: 0522-2239283, ई-मेल: csup@nic.in

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों की समीक्षा बैठक एवं सिटिंग को लखनऊ में आयोजित करने के संबंध में

- संदर्भ (1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2873263/2018/पीएस दिनांक 28.08.2018
- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के समसंख्यक पत्र दिनांक-28.08.2018
- (3) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक-06.11.2018

महोदय,

उक्त प्रकरण में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के पत्र दिनांक 28.08.2018 को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 30.08.2018 तथा 31.08.2018 को लखनऊ में प्रस्तावित समीक्षा बैठक तथा सिटिंग को, आयोग ने स्थगित कर दिया था। इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 29-30 नवम्बर, 2018 को लखनऊ में समीक्षा बैठक तथा सिटिंग आयोजित करने एवं माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश सरकार से शिष्टाचार स्वरूप मिलने के लिए निर्णय लिया है। इसकी सूचना, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को, समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र सं. दिनांक 06.11.2018 द्वारा अवगत करा दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नावली के संबंध में सूचना राज्य सरकार, से अप्राप्त है।

2. दिनांक 29-30 नवम्बर, 2018 को समीक्षा बैठक तथा सिटिंग आयोजित करने एवं माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश सरकार से शिष्टाचार स्वरूप मिलने की समय सारणी निम्नानुसार है:-

जारी.....

o/c

- (i) दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को 11:00 बजे समीक्षा बैठक: जिसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, तथा पुलिस महानिदेशक एवं संभागायुक्त लखनऊ सहित राज्य के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श (समीक्षा बैठक के स्थान का निर्धारण, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार द्वारा किया जाना है)
- (ii) दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को 03:00 बजे सिटिंग, जिसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग तथा कलेक्टर, जिला-मऊ, बलिया, चंदौली एवं कुशीनगर जिसमें जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने के संबंध में, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउन्डेशन, नोएडा और अन्य की उपस्थिति में लखनऊ में आयोग को प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में सुनवाई की जाएगी। (सिटिंग के स्थान का निर्धारण तथा उसकी सूचना, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा किया जाना है तथा सिटिंग की सूचना संबंधित जिला कलेक्टरों तथा अभ्यावेदकों को आयोग द्वारा की जाएगी।
- (iii) दिनांक 29 या 30 नवम्बर, 2018 को माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आयोग की शिष्टाचार स्वरूप मिलने हेतु कार्यक्रम (प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उनकी उपलब्धता की सूचना आयोग को अवगत कराना)।
3. समीक्षा बैठक एवं सिटिंग में शामिल होने वाले आयोग के अधिकारियों तथा उनके प्रवास कार्यक्रम की सूचना वायरलेस मैसेज द्वारा शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी।

भवदीय,

[Signature]
16.11.18

(एस.के.रथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:-011-24603669

प्रतिलिपि: सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ-226001
दूरभाष-0522-2236812
फैक्स-0522-2239387, ई-मेल: pr.sec.sw@dirsamajkalyan.in

2. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ-226001
दूरभाष-0522-2238020
फैक्स-0522-2239086, ई-मेल: psrevenuedeptup@gmail.com

9427-29
16/11/18

RECEIVED
16/11/18

[Signature]
16.11.18

(एस.के.रथ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:-011-24603669